UPBJ010028982026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06041
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–741/2026
राजवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

दिनाँक 23–03–2026

आदेश

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **राजवीर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–120/2025, धारा–85, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नहटौर, जिला बिजनौर में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी वादिनी मुकदमा का पति है। प्रार्थी ने वादिनी मुकदमा के साथ कोई दहेज की मांग नहीं की है। वादिनी मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट व 161 सीआर०पी०सी० के बयानों में विरोधाभास है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी थाने से धारा 41–ए के अन्तर्गत जमानत पर है। सह–अभियुक्त की जमानत न्यायालय से हो गयी है। स्थानीय पुलिस कभी भी प्रार्थी को गिरफ्तार कर सकती है तभा दबिश दे सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त उपरोक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा प्रियंका को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दहेज में 100 गज का प्लाट व दो बीघा जमीन की मांग करने, उसके साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से लिखायी गयी है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कथित अपराध सात साल तक की सजा से दण्डनीय है। पीड़िता की कोई चिकित्सीय आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त राजवीर को वादिनी का पति होना बताया गया है। उपरोक्त मामला वैवाहिक प्रकृति से संबंधित है। अभियुक्त आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तक धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत नोटिस पर रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.02.2026 के द्वारा अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था, जिसका कोई दुरुपयोग अभियुक्त ने

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.23 17:26:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया है। सह–अभियुक्तगण चन्द्रपाल सिंह व सत्तो देवी की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त **राजवीर** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को **<u>पच्चीस हजार रूपये</u>** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेगा।
2. अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा।
3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. अभियुक्त न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि, साक्षीगण की उपस्थिति की दिनांक को एवं धारा–313 दं०प्र०सं०/351 बी०एन०एस०एस० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यदि आवेदक–अभियुक्त उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता है तो सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त को दी गयी अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनाँक 23–03–2026 **(राम अवतार यादव)**

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1
बिजनौर।